न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी	:	सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	105/2018
सी.आई.एस. नंबर	:	105/2018
सी.एन.आर. नंबर	:	**RJBR110003662018**
निर्णय दिनांक	:	06.07.2026

<u>अपराध अर्न्तगत धारा 341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

PART-I
(A)

परिवादी	राजस्थान राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।
अभियुक्तगण	1. पप्पू उर्फ राधाकिशन पुत्र छोटूलाल, आयु 47 वर्ष, निवासी मौजा राजोजिया, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. 2. कालू उर्फ राजेश पुत्र छोटूलाल, आयु 37 वर्ष, निवासी मौजा राजोजिया, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री भगवान प्रसाद दाधीच, अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित।

(B)

अपराध की दिनांक	21.03.2018
एफ.आई.आर. की दिनांक	21.03.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	23.04.2018
आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक	अभियुक्तगण 1. पप्पू उर्फ राधाकिशन एवं 2. कालू उर्फ राजेश, दिनांक 23.04.2018
सुनवायी की दिनांक	18.08.2018
निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक	06.07.2026
निर्णय सुनाये जाने की दिनांक	06.07.2026
दंडादेश, यदि हो तो –	–

(C)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

कम संख्या	अभियुक्त गण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बितायी अवधि
1.	पप्पू उर्फ राधाकिशन	—	—	341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	निर्णय की मद संख्या 21. में वर्णित	—
2.	कालू उर्फ राजेश	—	—		दोषमुक्त	निर्णय की मद संख्या 21. में वर्णित	—

PART-II
साक्षियों की सूची :— अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी —

कम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	जसवंत	ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट, स्वयं के साथ घटना होने का, घटनास्थल का नक्शा मौका का, धारा 161 सीआर.पी.सी. का एवं फर्द डेमेज वाहन ट्रैक्टर का गवाह
2.	डॉ. कमल मीणा	आहतगण की मेडीकल मुआयने एवं एक्स रे रिपोर्ट का गवाह
3.	रामकरण	प्रथम सूचना रिपोर्ट कता करने का गवाह
4.	रघुवीर सिंह	हालात तफ्तीश एवं अनुसंधान का गवाह
5.	अनिल कुमार शर्मा	आहतगण की एक्स रे रिपोर्ट का गवाह

(B) बचाव साक्षी —

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी –

RANK	**NAME**	साक्षी की प्रकृति **(EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)**
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्रदर्श पी. 1	हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1
02.	प्रदर्श पी. 2	चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी. 2
03.	प्रदर्श पी. 3	फर्द घटनास्थल नक्शा मौका एवं निरीक्षण घ टनास्थल प्रदर्श पी. 3
04.	प्रदर्श पी. 4	फर्द डेमेज वाहन ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ.ई. बिना नंबरी प्रदर्श पी. 4
05.	प्रदर्श पी. 5	आहत रामचंद्र का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5
06.	प्रदर्श पी. 6 लगायत प्रदर्श पी. 8	आहत रामचंद्र का एक्स रे कवर नोट एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 6 लगायत प्रदर्श पी. 8
07.	प्रदर्श पी. 9	आहत जसवंत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 9
08.	प्रदर्श पी. 10	फर्द फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 10

(B) बचाव प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श –

कम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
– निल –		

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –

कम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का कमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर कमांक एवं वर्णन
– निल –			

:: निर्णय ::

दिनांकः—06.07.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'दिनाँक 21.03.2018 को फरियादी जसवंत पुत्र हरिमोहन, निवासी अनंतपुरा, जिला कोटा राज. हाल निवासी मौजा मऊ, अंता ने मय अपने चाचा रामचंद्र के, उपस्थित पुलिस थाना अंता होकर एक हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.03.2018 को समय करीब दिन के 12 बजे की बात है। वह, अपने चाचा रामचन्द्र की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, पानी लेने के लिये टंकी रखकर, गॉव राजोड़िया जा रहा था कि राजोड़िया गॉव से पहले, पुलिया के पास वाले रास्ते में, उसे कालू पुत्र छोटूलाल एवं पप्पू पुत्र छोटूलाल मिले, जिन्होनें उसके ट्रैक्टर को रोक लिया एवं उससे कहा कि तेरी इधर आने की हिम्मत कैसे हुयी, यह कहकर वे लोग, उसके साथ लकड़ी से मारपीट करने लग गये। कालू ने उसके बायें कंधे पर लकड़ी से वार किया तथा उसके चाचा रामचंद्र के साथ भी कालू एवं पप्पू ने लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसके चाचा रामचंद्र के दोनों हाथों में लगी। वहॉ पर मौजूद सत्यनारायण ओढ़ ने, उसका बीच बचाव कराया, कालू एवं पप्पू ने ट्रैक्टर के भी लठ मारे, जिससे उन लोगों ने ट्रैक्टर का भी नुकसान कर दिया। उसका मोबाईल भी वहीं पर गिर गया। पप्पू एवं कालू ने, उनके साथ गाली गलौच की थी एवं उन दोनों ने शराब पी रखी थी। कार्यवाही की जावें।' इत्यादि

2. उक्त हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां द्वारा मुकदमा नंबर 98/2018, अंतर्गत धारा 341, 323, 427, 504, 34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर, अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना अंता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 427, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 427, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी जाकर, अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 427, सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने, आरोपों को सुन समझकर, आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में, गवाहान पीडब्ल्यू—1 जसवंत, पीडब्ल्यू—2 डॉ. कमल मीणा, पीडब्ल्यू—3 रामकरण, पीडब्ल्यू—4 रघुवीर सिंह, पीडब्ल्यू—5 अनिल कुमार शर्मा को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2, फर्द घटनास्थल नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 3, फर्द डेमेज वाहन ट्रैक्टर स्वराज 735 एफ.ई. बिना नंबरी प्रदर्श पी. 4, आहत रामचंद्र का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5, आहत रामचंद्र का एक्स रे कवर नोट एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 6 लगायत प्रदर्श पी. 8, आहत जसवंत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 9, फर्द फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 10 को प्रदर्शित कराया गया।

5. अभियुक्तगण के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन के गवाहान के बयानों को गलत होना एवं झूठा फॅसाया जाने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर नहीं किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई समाप्त की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :—

1. क्या अभियुक्तगण पप्पू उर्फ राधाकिशन एवं कालू उर्फ राजेश द्वारा, दिनांक 21.03.2018 को समय दिन के 12 बजे या उसके लगभग, स्थान राजोड़िया गॉव से पहले पुलिया के पास, अंता में स्वेच्छयापूर्वक परिवादी जसवंत एवं उसके चाचा रामचंद्र को, उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, उसका मार्ग अवरूद्ध कर, उन्हें उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने के वे अधिकारी थे ? साथ ही क्या उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, स्वेच्छया परिवादी/आहतगण जसवंत एवं उसके चाचा रामचंद्र के साथ लकड़ी से मारपीट कर, उनके शरीर पर साधारण उपहतियां कारित की गयी तथा आहत रामचंद्र के बायें हाथ की अग्रभुजा की अलना बोन को फैक्चर कर गंभीर उपहति कारित की गयी ? साथ ही क्या उक्त अभियुक्तगण द्वारा अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, स्वेच्छया गाली—गलौच कर इस आशय से अपमानित किया गया, जिससे कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें ? साथ ही क्या उक्त अभियुक्तगण द्वारा, अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, परिवादी के ट्रैक्टर में लकड़ियों से मारकर, परिवादी के ट्रैक्टर को नुकसान पहुॅचाकर, पचास रूपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान कर, रिष्टि कारित की गयी ? इस प्रकार अभियुक्तगण पप्पू उर्फ राधाकिशन एवं कालू उर्फ राजेश द्वारा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया गया ?

2. यदि हॉ, तो अभियुक्तगण के विरूद्ध उचित दण्ड क्या होगा ?

8. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का यह कथन रहा हैं कि प्रकरण में अभियोजन कहानी से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतः साबित है। प्रकरण में गवाहान के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। प्रकरण में सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण को आरोपित धारा में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खंडन करते हुये, इसके विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्यतः यह कथन रहा है कि प्रकरण वर्ष 2018 से लंबित है। अभियुक्तगण पिछले सात वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे है। प्रकरण में परिवादी तथा परीक्षित अन्य गवाहान के द्वारा भी अभियोजन कहानी की लेशमात्र ताईद नहीं की गई है। प्रकरण में परिवादी पक्ष द्वारा, द्वेष में आकर उक्त प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है। प्रकरण में गवाहान के बयानों में परस्पर गंभीर विरोधाभास है। प्रकरण में घटना का कोई

भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में किसी भी गवाह ने मारपीट होते हुये नहीं देखी है। प्रकरण में अन्य आहत रामचंद्र, न्यायालय समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। प्रकरण में हितबद्ध गवाहान, न्यायालय समक्ष परीक्षित हुये है। प्रकरण में किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को, युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रकरण में, अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावें।

10. बहस अन्तिम सुनी गई। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार है :—

11. संपूर्ण अभियोजन वृतांत के अनुसार, अभियुक्तगण पप्पू उर्फ राधाकिशन एवं कालू उर्फ राजेश द्वारा, दिनांक 21.03.2018 को समय दिन के 12 बजे या उसके लगभग, स्थान राजोड़िया गॉव से पहले पुलिया के पास, अंता में स्वेच्छयापूर्वक परिवादी जसवंत एवं उसके चाचा रामचंद्र को उनकी इच्छित दिशा में जाने से रोककर, उनका मार्ग अवरूद्ध कर, उन्हें, उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया, जिस दिशा में जाने के वे अधिकारी थे। साथ ही उक्त अभियुक्तगण द्वारा, अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, स्वेच्छया परिवादी/आहतगण जसवंत एवं उसके चाचा रामचंद्र के साथ लकड़ी से मारपीट कर, उनके शरीर पर साधारण उपहतियां कारित की गयी तथा आहत रामचंद्र के बायें हाथ की अग्रभुजा की अलना बोन को फ्रेक्चर कर गंभीर उपहति कारित की गयी। साथ ही उक्त अभियुक्तगण द्वारा, अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, स्वेच्छया गाली—गलौच कर इस आशय से अपमानित किया गया, जिससे कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें। साथ ही उक्त अभियुक्तगण द्वारा, अपने दीगर साथी के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में एकराय होकर, परिवादी के ट्रैक्टर में लकड़ियों से मारकर, परिवादी के ट्रैक्टर को नुकसान पहुँचाकर, पचास रूपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान कर, रिष्टि कारित की गयी। इस प्रकार अभियुक्तगण पप्पू उर्फ राधाकिशन एवं कालू उर्फ राजेश द्वारा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया गया।

12. उक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का पूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 05 गवाहान को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा परिवादी/आहत गवाह पी.ड. 01 जसवंत के अतिरिक्त, घटना के संबंध में किसी भी चक्षुदर्शी गवाह को न्यायालय समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा परिवादी/आहत जसवंत को गवाह पी.ड. 01 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये न्यायालय समक्ष अपने बयानों में कथन किया है कि वह अभी कोटा में रहता है। यह तीन साल पहले की बात है। यह दिनांक 21.03.2018 की बात है। घटना के समय, वह, अपने चाचा के ट्रैक्टर में पानी की टंकी रखकर, पानी भरने जा रहा था। रास्ते में, उसे कालू एवं पप्पू मिले और उसे रोक दिया और कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हो गयी, गॉव में आने की, फिर पप्पू ने उसको पकड़ा एवं कालू ने उसके कन्धे पर लकड़ी से मारी, फिर वह, वहॉ से भागा और उसके चाचा को फोन लगाया और उसके चाचा रामचन्द्र आये, फिर उसके चाचा को पप्पू ने पकड़ा और कालू ने लकड़ी से मारी। कालू ने ट्रैक्टर

को भी, लकड़ी से तोडा। उसने घटना की रिपोर्ट दिनांक 21.03.2018 को, उसी दिन दर्ज करवा दी थी। पहले उसका ईलाज, सांगोद चिकित्सालय में करवाया था, फिर अंता थाने के पुलिस वालों ने उसका डॉक्टरी मुआयना भी करवाया था। गवाह द्वारा, प्रकरण में दर्ज तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 02, घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 03, प्रकरण में फर्द डेमेज वाहन प्रदर्श पी. 04 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर उसके चाचा के नाम पर है तथा उसे, ट्रैक्टर के नंबर नहीं मालूम। बरवक्त घटना, घटनास्थल पर, वह स्वयं तथा उसके चाचा एवं अन्य गवाह सत्यनारायण मौजूद थे। घटना में, उसके एवं उसके चाचा के चोटें आयी थी। **वह, मुलजिमान को पहले से नहीं जानता है। मुलजिमान के नाम, उसे, उसके चाचा रामचंद्र ने बताये थे।**

13. हस्तगत प्रकरण में, जहाँ तक प्रश्न, प्रकरण में आहतगण को आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति का है, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह डॉ. कमल मीणा को पी.ड. 02 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 21.03.2018 को सी.एच.सी. अंता में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, उक्त दिनांक को, पुलिस थाना अंता की तहरीर पर, आहत रामचंद्र के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में तैयार, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5 एवं एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 6 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 7 एवं प्रदर्श पी. 8 की ताईद की गयी है। गवाह द्वारा, उक्त चोट प्रतिवेदन में वर्णित चोटों के संबंध में निम्न निष्कर्ष दिया गया है –

'चोट नंबर 1 – दर्द एवं सूजन आकार 5 गुणा 6 सेंटीमीटर, बायें हाथ की अग्रभुजा पर। चोट नंबर 2 – दर्द एवं सूजन आकार 2 गुणा 3 सेंटीमीटर, दायें हाथ के अंगूठे के बेस पर। चोट नंबर 3 – खरोंच आकार 1 गुणा 4 सेंटीमीटर, दायें हाथ की अग्र भुजा पर, पीछे की ओर आयी हुयी थी। चोट नंबर 3 साधारण प्रकृति की थी। चोट नंबर 1 एवं 2 की प्रकृति जानने के लिए एक्स रे की सलाह दी गई थी। बाद एक्स रे, चोट नंबर 1 गंभीर प्रकृति की एवं चोट नंबर 2 साधारण प्रकृति की पायी गयी। उपरोक्त सभी चोटें, कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी। सभी चोटों की अवधि, मेडिकल मुआयने के समय 24 घंटे के अंदर की थी।'

गवाह द्वारा, उक्त दिनांक को ही, पुलिस थाना अंता की तहरीर पर, आहत जसवंत पुत्र हरिओम, निवासी अनंतपुरा, कोटा के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में मेडिकल मुआयना कर, तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 09 की ताईद की गयी है। गवाह द्वारा, उक्त चोट प्रतिवेदन में वर्णित चोटों के संबंध में निम्न निष्कर्ष दिया गया है –

'चोट नंबर 1 – नीलगू का निशान आकार 2 गुणा 3 सेंटीमीटर, बायें कंधे पर आयी हुयी थी, जो सामान्य प्रकृति की और कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी थी। उक्त चोट की अवधि 24 घंटे के अंदर की थी।'

दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी. 5 एवं प्रदर्श पी. 9 में वर्णित चोटें, सख्त उबड़ खाबड़ धरातल पर गिरने पड़ने से आना संभव है।

14. इसी क्रम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह अनिल कुमार शर्मा को पी0ड0 05 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 22.03.2018 को सी.एच.सी. अंता में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा डॉ0 कमल मीणा के निर्देशन में, आहत रामचन्द्र के शरीर पर आयी चोटों का एक्स रे किया गया था। गवाह द्वारा, प्रकरण में, आहत रामचन्द्र के संबंध में तैयार, एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 6, एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 7 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 8 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है।

15. प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह रामकरण को पी.ड. 03 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि प्रकरण में औपचारिक गवाह है, जो कि दिनांक 21.03.2018 को पुलिस थाना अंता में एस.आई. के पद पर कार्यरत था। गवाह ने, प्रकरण में परिवादी/आहतगण जसवंत एवं रामचंद्र द्वारा दर्ज तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 एवं उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर, दर्ज चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2 की ताईद की है। प्रकरण में उसके द्वारा अनुसंधान रघुवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल को सुपुर्द किया गया था।

16. प्रकरण में अभियोजन द्वारा, प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह रघुवीर सिंह को पी0ड0 04 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 21.03.2018 को पुलिस थाना अंता में हैड कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा, संपूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुये, प्रकरण में घ टनास्थल के संबंध में तैयार, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 की ताईद की गयी है। गवाह द्वारा, अनुसंधान संबंधी औपचारिकताएँ पूरी किये जाने का, जैसे—गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जाने का, वाहन ट्रैक्टर की फर्द डेमेज तैयार किये जाने का, आहत की मेडिकल मुआयना रिपोर्ट एवं एक्स रे रिपोर्ट प्राप्त कर, शामिल पत्रावली किये जाने का कथन किया है। गवाह द्वारा, प्रकरण में बाद अनुसंधान, अभियुक्तगण पप्पू उर्फ राधाकिशन एवं कालू उर्फ राजेश के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता प्रमाणित पाया गया था।

17. उपरोक्त वर्णित गवाहान के बयानों के प्रकाश में, अभियोजन पक्ष द्वारा, न्यायालय से यह निवेदन किया जा रहा है कि आहत जसवंत द्वारा एवं अन्य हितबद्ध महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा, न्यायालय समक्ष संपूर्ण घटना की पूर्णतया ताईद की गयी है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित है। वहीं अभियुक्त पक्ष द्वारा, घटना का खंडन करते हुये, न्यायालय से यह निवेदन किया जा रहा है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फॅसाया गया है। प्रकरण में अन्य आहत रामचंद्र, न्यायालय समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावें।

18. न्यायालय के विनम्र मत में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में, आहत रामचंद्र के बयान, उसकी मृत्यु के चलते न्यायालय समक्ष लेखबद्ध नहीं किये जा सकें तथा घटना के अन्य चक्षुदर्शी गवाह सत्यनारायण को, अभियोजन द्वारा, बावजूद पर्याप्त अवसर के, न्यायालय समक्ष परीक्षित नहीं कराया जा सका।

19. हस्तगत प्रकरण में, परिवादी/आहत गवाह पी.ड. 01 जसवंत द्वारा अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना की तो ताईद की गयी है, परंतु दौराने जिरह गवाह ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि **वह, मुलजिमान को पहले से नहीं जानता था तथा उसे, उनका नाम, अन्य आहत उसके चाचा रामचंद्र ने बताया था। ऐसे में, जबकि आहत रामचंद्र के बयान पत्रावली में लेखबद्ध नहीं किये गये है, ऐसे में, अभियुक्तगण की पहचान एवं उनकी घटना में संलिप्तता पर घोर संदेह उत्पन्न होता है, विशेषतया तब, जबकि प्रकरण में अन्य कोई भी चक्षुदर्शी गवाह, अभियोजन द्वारा न्यायालय समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया हो, जिसने स्वयं अभियुक्तगण को, अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना की ताईद करते हुये देखा हो। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के अनुसरण में, प्रथमदृष्ट्या यह निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है कि अभियुक्तगण पप्पू उर्फ राधाकिशन एवं कालू उर्फ राजेश, अभियोजन वृतांत में वर्णित घ टना में संलिप्त रहे हो।** अतः ऐसे में, अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 341, 323, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध में, उनके विरूद्ध अवलंब नहीं लिया जाकर, दोषी नहीं माना जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन/अनुसंधान अधिकारी द्वारा, अभियुक्तगण से किसी प्रकार का कोई कुंद हथियार जप्त नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सकें कि अभियुक्तगण द्वारा, फरियादी के साथ गाली गलौच कर, स्वेच्छया कुंद हथियार से मारपीट कर, उपहतियां कारित की गयी हो तथा फरियादी के वाहन के साथ तोड़ फोड़ कर रिष्टि कारित की गयी हो। अतः ऐसे में, अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना पर, अभियुक्त पक्ष, संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है। अतः ऐसे में, जबकि अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना में प्रथमदृष्ट्या संदेह हो, तब न्यायालय के विनम्र मत में, अभियुक्तगण को दोषी नहीं माना जा सकता है।

20. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः ऐसे में, अभियुक्तगण, अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

:: <u>आदेश</u> ::

21. अतः अभियुक्तगण 1. पप्पू उर्फ राधाकिशन पुत्र छोटूलाल, आयु 47 वर्ष, निवासी मौजा राजोजिया, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. तथा 2. कालू उर्फ राजेश पुत्र छोटूलाल, आयु 37 वर्ष, निवासी मौजा राजोजिया, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 427, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. अभियुक्तगण के पूर्व में पेश नियमित हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

23. प्रत्येक अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय समक्ष पेश कर तस्दीक करावें, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

24. निर्णय आज दिनांक 06.07.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर, न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)